भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2162
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में कार्यरत भारतीयों का कल्याण

2162.**श्री देबाशीष सामंतराय**:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख)विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मिशनों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार विदेशों में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों, जिसमें भारतीय उत्प्रवासी कामगार भी शामिल हैं, की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

उत्प्रवासी अधिनियम, 1983 में संविदात्मक विदेशी रोजगार हेतु भारतीय कामगारों के उत्प्रवास के लिए विनियामक ढांचे का प्रावधान किया गया है और यह उनके हितों की रक्षा करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। विशेषकर ईसीआर देशों के संबंध में यह अधिनियम भर्ती एजेंटों के लाइसेंस, उत्प्रवासन अनापत्ति की प्रक्रिया, विदेशी नियोक्ताओं के पंजीकरण और विदेशों में कार्य करने के लिए भर्ती किए गए भारतीय कामगारों के शोषण की रोकथाम जैसे मुद्दों के संबंध में विनियमों का प्रावधान करता है। उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) असुरक्षित उत्प्रवासी कामगारों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। भारत भर में स्थित इसके 17 कार्यालयों के माध्यम से संचालन करते हुए, पीजीई दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं, शिकायतों को पंजीकृत करते हैं और विदेशों में मौजूद भारतीय उत्प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करते हैं।

संकट में फंसे भारतीयों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और विदेशों में 5 स्थानों, अर्थात् दुबई, रियाद, जेद्दा, कुआलालंपुर और लंदन में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) भी भारतीय उत्प्रवासियों और उनके संबंधियों को विदेशी रोजगार से संबंधित मुद्दों पर सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करते हैं।

शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए अनेक तंत्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय मिशनों/केन्द्रों से विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24X7 आपातकालीन नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद, सीपीग्राम, ई-माइग्रेट, सोशल मीडिया, हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा समय-समय पर कोंसली शिविर और ओपन हाउस भी आयोजित किए जाते हैं।

भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उद्देश्य संकट के समय में साधन-परीक्षण के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है। 2009 में इसकी स्थापना के बाद से ही, 3.69 लाख से अधिक भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए 774 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया गया है। संकटग्रस्त भारतीयों को कल्याणकारी सहायता के दायरे में तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्: संकट की स्थिति में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करना (भोजन और आवास; हवाई यात्रा; कानूनी सहायता; आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और पार्थिव शरीरों का परिवहन); सामुदायिक कल्याणकारी कार्य और कोंसली सेवाओं में सुधार। विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना और प्रस्थान पूर्व अनुकूलन प्रशिक्षण जैसी अनेक पहलें की हैं ताकि गंतव्य देशों में बेहतर कार्य करने और रहने की स्थिति के साथ सुरक्षित प्रवासन को सुविधाजनक बनाया जा सके, कामगारों के अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जा सके और उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा सके।

भारतीय कामगारों के लिए वैश्विक रोज़गार के अवसर बढ़ाने, उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करने, अनियमित प्रवास को रोकने और कौशल विकास में सहयोग करने के उद्देश्य से 25 देशों के साथ प्रवास और गतिशीलता साझेदारी संबंधी करार, श्रम गतिशीलता संबधी करार और श्रम कल्याण संबंधी करार संपन्न किए गए हैं। इन करारों के आधार पर, संबंधित देशों के साथ संस्थागत तंत्र के माध्यम से कामगारों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक आईसीडब्ल्यूएफ के तहत भारतीय मिशन/केन्द्र द्वारा दी जाने वाली मदद का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या**	**व्यय (रुपये में)**
1.	2023	18,960	33.91 करोड़ रुपये
2.	2024	10,034	21.62 करोड़ रुपये
3.	2025	10,293	21.88 करोड़ रुपये
